न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 91/2020

उनवान

(1) राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा - वादी

बनाम

1. रामा पुत्र बालू भील नि.रूपपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2. नन्दू पत्नि बालू भील नि.रूपपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3. मोहन पुत्र बालू भील नि.रूपपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4. सांवरलाल पुत्र जग्गू भील नि.रूपपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी गण

उपस्थित वकील प्रार्थी
(1) श्री पैरोकार सरकार

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

आदेश **दिनांक –12.08.2021**

(1) वादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार आसीन्द द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 R.T.A.इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादीगणों के नाम ग्राम बरसणी पटवार मण्डल बरसणी में निम्न कृषि भूमि खातेदारी के रूप में दर्ज रेकार्ड है –

क्र.सं.	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
	1090	251	0.21
		252	0.25
		263	0.13
	138	262	0.32
		265	0.22
		264	0.20

(2) रिपोर्ट पटवारी एंव मौका पर्चा के अनुसार उक्त खातेदारो द्वारा अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर मौके पर अवैध खनन कार्य किया जा रहा है।

(4) पटवार हल्का बरसणी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत जांच रिपोर्ट ,मौका पर्चा तथा नजरी नक्शे के अनुसार खातेदारान द्वारा अपनी भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर खनन कार्य करना स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है।

(5) रिपोर्ट पटवारी अनुसार उक्त भूमि पर खनन का[illegible]

(6) रिपोर्ट पटवारी / भू.अ.निरीक्षक के अनुसार उक्त भूमि में मौके पर [illegible] खनन होकर मौके पर खनन का मलवा पड़ा हुआ है तथा उपरोक्त सभी आराजियात [illegible]

(8) अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादी स्वीकार फर[illegible] कृषि भूमि को बिलानाम सरकार घोषित करने के आदेश प्रदान करें।

(9) प्रस्तुत वाद-पत्र बाद जांच पत्रावली संख्या 91/2020 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी-गणो को जरिये नोटिस तलब किया गया। सम्मन बाद तामिल पुनः प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या एक व तीन बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं है। उनके नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी जाने पर उनके उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश किये जाते है। पटवारी हल्का बरसणी ने उपस्थित न्यायालय होकर प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:37:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या दो की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके विधिक वारिसान पूर्व में ही प्रकरण में पक्षकारान कायम है। अतः उनका नाम प्रार्थना पत्र से विलोपित के आदेश प्रदान करावें। पटवारी हल्का बरसणी की रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या दो का नाम प्रार्थना पत्र से विलोपित करने के आदेश किये जाते है। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सैन द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 को जवाब प्रस्तुत करने बाबत् समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(10) राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने पक्ष रखते हुये निवेदन किया कि उक्त खातेदारान उक्त कृषि भूमि पर खेती नहीं कर रहे है एंव बिना समक्ष अधिकारी की स्वीकृति के अवैध तरीके से खनन कार्य कर तथा खनन का मलवा डालकर कृषि भूमि के मूलभूत स्वरूप को नष्ट कर रहे है। अतः उक्त कृषि भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने के आदेश प्रदान करावें।

(11) बहस पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड दस्तावेज / रिपोर्ट पटवारी / भू.अ.निरीक्षक /नजरी नक्शा का अध्ययन किया। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार उक्त कृषि भूमि पर उक्त कृषकों द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जाकर अवैध तरीके से बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उक्त कृषि भूमि पर खनन कार्य करना एंव खनन का मलवा डालना प्रतीत होने से वाद पत्र स्वीकार योग्य होना न्यायालय उचित समझता है। अतः यह आदेश सुनाया जाता है कि –

आदेश

वादी वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बरसणी पटवार हल्का बरसणी तहसील आसीन्द की जमाबन्दी संवत 2074-77 (वर्ष 2019 से स्थायी) की निम्न कृषि भूमि को कृषि भूमि से भिन्न उपयोग में लेने / बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के खनन कार्य कर उनके प्राकृतिक स्वरूप को खुर्द-बुर्द करने से बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है –

क्र.सं.	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
	1090	251	0.21
		252	0.25
		263	0.13
	138	262	0.32
		265	0.22
		264	0.20

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद किया जावें तथा उक्त भूमि को कब्जा सरकार ली जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 12.08.2021 को खुली अदालत में सुनाया गया।

(सी.एल.शर्मा)
सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:37:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द [illegible]ड़ा

क्रमांक / रीडर / 2021 / 58 [illegible]

प्रतिलिपीः- तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि [illegible]लना रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों के इस न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सी.एल.शर्मा)
सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा